# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 62/2017 रामेश्वरलाल बनाम सरकार आदि

| आदेश दिनांक | आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त | आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 25.07.17 | वकील उभयपक्ष उपस्थित। अपीलाट द्वारा यह अपील अतिरिक्त कलैक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 5.06.2017 के विरूध पेश की । उक्त आदेश के द्वारा तहसीलदार सूरतगढ द्वारा राज.उपनिवेशन की धारा 22 के तहत अपीलाट को विवादित भुमि पर अतिक्रमी मानते हुऐ बेदखल करने एव तीन माह की सजा से दण्डित किया गया था । उक्त आदेश की अपील होने पर तीन माह की सजा के स्थान पर एक माह की सजा रखी गईं।इस न्यायालय मे अपील पेश होने पर दिनांक 19.07.2017 को इस आश्य का प्रार्थना पत्र पेश किया कि अपीलाट ने विवादित भुमि से कब्जा छोड दिया है व कब्जा छोड़ने के सम्बध में शपथ पत्र पेश किया । अपीलाट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सूरतगढ से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार सूरतगढ ने अपने पत्र क्रमाक 163 दिनांक 24.07.2017 से अवगत कराया कि रिपोर्ट पटवारी रोही प्रभातनगर के खसरा न 9 की 3.036 हैक रकबा वर्तमान मे खाली है तथा आराजीराज है व किसी काश्तकार द्वारा काश्त नही की गई है व रामेश्वरलाल (अपीलाट) द्वारा अपना कब्जा छोड दिया है । अपीलाट ने कब्जा छोडने के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी पेश किया है । ऐसी स्थिती में न्यायहित में एव अपीलाट द्वारा विवादित भूमि से कब्जा छोड दिये जाने के कारण अपील अपीलाट स्वीकार अतिरिक्त कलैक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 05.06.2017 में एक माह की सिविल कारावास की सीमा तक आदेश निरस्त किया जाता है । निर्णित प्रा.पत्र नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो । [signature] 25/7 | ADM [illegible] को [illegible] 305/13.9.17 [illegible] TDR [illegible] 306/13.9.17 [illegible] |

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)